

	(क) नक्शा तैयार करना और नई सड़क बनाना (ख) और नए पुल और पुलिया का निर्माण	
	29. प्रशासक ग्राम परिषद को किसी कार्य के निष्पादन, रख-रखाव अथवा मरम्मत अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की ओर से किसी संस्थान के प्रबन्धन का कार्य सौंप सकता है । बशर्ते कि ऐसे प्रयोजन के लिए ग्राम परिषद को निधि सरकार अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा ।	ग्राम परिषद को कार्य अथवा संस्थान का हरस्थानान्तरण
	30. (1) ऐसे शर्तों के अधीन जैसा निर्धारित किया गया है, प्रशासक ग्राम परिषद की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके भू राजस्व और भू-राजस्व का बकाया एकत्रित करने का कार्य ग्राम परिषद को सौंपेंगे । (2) उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद को सौंपे गए किसी कार्य के लिए प्रशासक द्वारा ऐसे ग्राम परिषद को निर्धारित दर अदा किया जाएगा ।	भू राजस्व का संग्रह
	31. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ग्राम परिषद गाँव में रहने वाले योग्य पुरुष जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो तथा जो इस दल में प्रवेश करने के इच्छुक हैं को शामिल करते हुए एक स्वयं सेवक दल का गठन करेंगे और उचित व्यक्ति को इसका नेतृत्व दिया जाएगा । (2) ग्राम स्वयं सेवक दल की सेवा का उपयोग आम पहरेदारी के लिए और आपातकाल जैसे आग लगने, बाढ़, महामारी के फैलने अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान किया जाएगा । (3) इस बल के किसी सदस्य को ड्यूटी निभाते हुए होने वाली किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ।	ग्राम स्वयं सेवक बल
	32. ग्राम परिषद का प्रत्येक अनुबंध अथवा करार लिखित में होगा और इसे फर्स्ट कैप्टन, सचिव और ग्राम परिषद का एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होगा तथा ग्राम परिषद के मुहर से मुहरबंद करना होगा ।	अनुबंध का निष्पादन
	अध्याय – V वित्त, सम्पत्ति और लेखा	
	33. (1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय के लिए एक ग्राम परिषद निधि होगी और इसका उपयोग इस विनियम के अन्तर्गत ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद पर अधिरोपित ड्यूटी और दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।	ग्राम परिषद निधि